

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

फोन नं०. 05463.235020, फैंक्स नं०.05463.235194,

वेबसाइट. [www.gmcazamgarh@gmail.com](http://www.gmcazamgarh@gmail.com)

संख्या. 1254/रा०मे०का०आ०/छात्र अनु०/2025

दिनांक. ...11.../09/2025

सूचना

नीट यू०जी० 2025 के माध्यम से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के द्वारा प्रवेश के समय प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज तथा शिक्षण शुल्क का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

 11/09/25

प्रधानाचार्य  
राजकीय मेडिकल कालेज,  
आजमगढ़

## कार्यालय: प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।

श्री/कु०.....  
.....  
.....  
.....

मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ्य घोषित होने पर आपका निम्नलिखित शुल्क उसी दिन इस कार्यालय में जमा करना होगा। सभी शुल्क का भुगतान आपको बैंक ड्राफ्ट/बैंक जमा पर्ची द्वारा जमा करना आवश्यक होगा।  
शासनादेश संख्या- 2240/71-3-2010-328/91 दिनांक 20.09.2010 द्वारा शुल्क विवरण-

क्रम सं०	शुक्त विवरण	सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग
1	शिक्षण शुल्क	18000	9000
2	अन्य शुल्क	4000	4000
3	प्रवेश शुल्क	2000	2000
4	डेवलेपमेन्ट शुल्क	2000	2000
5	काशनमनी(रिफन्डेबुल)	10000	10000
6	छात्रावास शुल्क डबलसिटेड 200/माह	2400/	2400/
7	विद्युत शुल्क 200/माह	2400/	2400/
		40,800/	31,800/

प्रवेश के समय आपके हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट सर्टीफिकेट एवं समस्त परीक्षाओं के सर्टीफिकेट/अंकतालिका की मूलप्रतियों एवं उसकी एक छायाप्रति (सत्यापित) इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

### Mode fo Fee Payment-


(Fee will be valid only after document verification at Admission Counter of Medical College)

- 1- **By Cash-** Cash deposited by candidate in bank
- 2- **By Demad Draft-** In favor of “ Principal, Govt. Medical College, Azamgarh (U.P.)
- 3- **By NEFT/RTGS-**
  - a. A/C Name- Rajkiya Medical College, Azamgarh
  - b. A/C Number- 50163647289
  - c. IFSC Code- IDIB000G628
- 4- **By UPI-** 50163647289@indianbk

## अध्याय-6

### प्रवेश प्रक्रिया

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में सम्पन्न करनी होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय एवं अल्प-संख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-अस-सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के क्रम में, विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेण्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर की सूची संलग्न है। (अनुलग्नक-II)
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को सी0टी0एस0 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय हो, निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- अल्पसंख्यक संस्थानों/कॉलेजों में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को सम्बन्धित अल्पसंख्यक कॉलेजों/संस्थानों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को सी0टी0एस0 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय हो, निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।
- प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित मेडिकल अथवा डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जायेगा:-
  - 1- आवंटन पत्र की कापी।
  - 2- नीट यू0जी0-2025 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
  - 3- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
  - 4- सामान्य निवास प्रमाण-पत्र (उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
  - 5- आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र (उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
  - 6- पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/झाड़विंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
- प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र/सूचना कूट रचित पायी जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये सुसंगत धाराओं के अनुसार विधि-सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।





(The following Original documents and self attested photocopy to be submitted by the student)

S.No.	LIST OF DOCUMENTS	RECEIVED
01	Passport Size Photo (5) (as posted in admit card)	YES / NO
02	Allotment Letter & Document Verification & Fee Slip (Only for UP Counseling)	YES / NO
03	Admit Card of NEET-2025	YES / NO
04	Rank Letter/Result Card-2025	YES / NO
05	High School mark sheet & Certificate	YES / NO
06	Intermediate mark sheet & Certificate	YES / NO
07	Graduation Degree/Mark sheet & other Certificates (Optional)	YES / NO
08	U.P. Domicile (Optional)	YES / NO
09	Category & Sub- Category Certificates (OBC & EWS Certificate Issuing on or after Date 01-04-2025)	YES / NO
10	If required then Reservation certificate on format given in information brochure(OBC/SC/ST/EWS)	YES / NO
11	If required then Other Reservation certificate on format given in information brochure(NCC/PH/FF/EA)	YES / NO
12	Transfer Certificate & Migration (Optional)	YES / NO
13	Aadhar Card copy	YES / NO
14	Hepatitis B Vaccination Certificate	YES / NO
15	4 Affidavit (Service bond (Rs. 100 non judicial stamp paper), Gap Affidavit(Rs. 10 non judicial stamp paper). Anti-Ragging By Student & Father(Rs. 10 non judicial stamp paper)	YES / NO
16	Five envelope with postal address & stamp of Rs. 27/- on each	YES / NO
17	Fee Structure (General Candidate Rs. 40800/- and OBC/SC/ST Candidate Rs. 31800)	YES / NO

**अध्याय--8**  
**अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड**

- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017 दिनांक 07.03.2018 यथा संशोधित में प्रदान निर्देशों के क्रम में राजकीय मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार है:-

क्र0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम	02 वर्ष	रु0 10.00 लाख	"यथासम्भव/यथावश्यकता महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।"

**डिबारमेन्ट:-**

- शासनादेश संख्या-1/676928/2024 दिनांक 26 जून 2024 के क्रम में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेंटल कालेजों हेतु यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से Debar कर दिया जायेगा।

*Dee A*

*Dee A*